::आदेश::

उत्तराखण्ड लोक सवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) की धारा 17 के अधीन वर्ष 2019 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के समूह–"घ" के निम्नलिखित कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04(वर्तमान तैनाती संस्था) से कॉलम–05(संस्था का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जा रहा है) में अंकित स्थानों पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है:–

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	पद नाम	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहॉ कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01	श्री रमेश लाल	चतुर्थ श्रेणी	रा0पा0 नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)	रा0ग्रा0पा0 थलनदी (गढ़वाल)	जनहित में
02	श्री दयाराम	चतुर्थ श्रेणी	रा0म0पा0 देहरादून	रा0पा0 सतपुली (गढ़वाल)	जनहित में
03	श्री राजकुमार	चतुर्थ श्रेणी	रा0पा0 श्रीनगर (गढ़वाल)	रा0पा0 रूद्रप्रयाग	जनहित में

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहॉ कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01	श्री रोशन लाल	चतुर्थ श्रेणी	रा0पा0 बीरोंखाल (गढ़वाल)	रा0पा0 सतपुली (गढ़वाल)	स्वयं के अनुरोध पर

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्मिक कार्यरत है	संस्था का नाम जहॉ कार्मिक स्थानान्तरित किया जाता है	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01	श्री बालम सिंह	चतुर्थ श्रेणी	रा0पा0 गौचर(चमोली)	रा0पा0 श्रीनगर (गढ़वाल)	जनहित में
02	श्री गोविन्द सिंह	चतुर्थ श्रेणी	रा0पा0 गौचर(चमोली)	रा0पा0 श्रीनगर (गढ़वाल)	जनहित में

निर्देशित किया जाता है कि प्रधानाचार्य/कार्यालयाध्यक्ष अधिनियम की धारा–23 के अनुसार, स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त कर दें और स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के दस दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता माना जायेगा, और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों को पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि की प्रविष्टि स्थानान्तरण पोर्टल पर अंकित कर कार्मिकों का विवरण अपडेट करें।

2– स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3– स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

4– स्थानान्तरिक कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

5– यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धित से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाय और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जाय।

6– यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरूद्ध "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमवाली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

7– जो कोई, स्थानान्तरण अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो स्थानान्तरण आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या अधिनियम के किन्हीं उपलबन्धों का उल्लघंन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

8– स्थानान्तरित कार्मिकों का वेतन उनके नवीन तैनाती संस्था से आहरित किया जायेगा।

9– जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण जनहित में किया गया है, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा तथा स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने क उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।

(डॉ0 अहमद इकबाल)
निदेशक।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल)

पृ0सं0 1117-22/नि0प्रा0शि0/स्था0–08/2019–20 दिनांकः 25 जून 2019।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपर मुख्य सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
(2) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राजकीय/महिला/ग्रामीण पालीटेक्निक संस्थान, उत्तराखण्ड।
(3) महालेखाकार, उत्तराखण्ड कोलागढ़, देहरादून।
(4) कोषाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार, उत्तराखण्ड।
(5) सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रधानाचार्य।
(6) गार्ड फाइल।

25/06/19

(डॉ0 अहमद इकबाल)
निदेशक।